

न्यायालय NC-II  
अज्ञान सहाय बनाम मुकेश वर्मा

मुकदमा संख्या/वर्ष 379-56/12 : \_\_\_\_\_ / 20


क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/8/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उद्यमपत्र 022R3 वकील-प्रतिपक्षी की कलम प्रपत्र 022R3 पेश हुई। पत्रावली वाले कोर्ट का पत्र 022R3 संख्या 29/8/22 में पेश हुआ।</p>	<p>सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय</p>
	29/8/22	<p>पत्रावली वाले आदेश पेश हुई। पत्र उद्यमपत्र 022R3 समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। वाले आदेश अंक 13/09/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय</p>
	13/09/22	<p>पत्रावली वाले आदेश पेश हुई। वकील उद्यमपत्र 022R3 प्रयोग द्वारा प्रस्तुत पत्र 022R3 व उद्यमपत्र अधिनियम 5 भारतीय मियाद अधिनियम का उल्लंघन किया गया। वकील प्रयोग का पत्र में अंक की उमर प्रकरण में वादी अज्ञान सहाय की मृत्यु 11/05/2015 को हो चुकी है। अंक वारिस 2/20 में है उमर को रिकॉर्ड लिखा जा पत्र द्वारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अंक उमर उन्वानी वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही मृतक की अज्ञान सहाय द्वारा की जाती रही है। अंक मृत्यु</p>	<p>सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय</p>





## फर्द अहकाम

यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय  
भगवान सहाय बनाम सुकेश वर्मा  
 कदमा संख्या/वर्ष डावा- 56/12 / 20

0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p><del>अनौपचारिक करार का खाला दिया</del>  <del>है ऐसे में प्रायोगिक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण</del>  <del>को स्वीकार किया जाना न्यायोचित</del>  <del>प्रतीत नहीं होता है अतः प्रायोगिक</del>  <del>द्वारा प्रस्तुत प्रमाण अधीन ब्यारोइ</del>  <del>मिमाद अधिनियम खालि का प्राप्प</del>  <del>02223 CPC खालि किया जाता है</del>  <del>तथा वर्ष का चार्ज अवेरमेंट</del>  <del>के खालि किया जाता है। फावले</del>  <del>पैसल ब्यारोइ के नव ईकम</del>  <del>लेफ्ट डाखिल इप्तर हो निम डा</del>  <del>डिंक 13/09/22 को सर इफरार हुगपा</del></p> <p>डापा</p> <p style="text-align: center;">   <b>सहायक कलक्टर</b>  <b>जयपुर शहर द्वितीय</b> </p>	